पटना उच्च न्यायालय में

आपराधिक विविध संख्या 12930/2023

पीएस कांड संख्या-51 वर्ष-2022 थाना-खगड़िया जिला-खगड़िया से उत्पन्न

==========

1. राजेश महतो उर्फ राजेश कुमार, पुत्र-श्री रामाशीष महतो उर्फ राम सिंह, निवासी-वार्ड नंबर 20, विष्णुपुर, चतुर्भुज, थाना- मुफस्सिल (बेगूसराय), जिला-बेगुसराय (बिहार)।

2. कुमार आलोक, पुत्र-श्री अशोक कुमार चौधरी, निवासी-वार्ड नंबर 20, नंद ग्राम हेमरा, थाना-बेगूसराय सदर, जिला-बेगूसराय (बिहार)।

...याचिकाकर्ता

बनाम

बिहार राज्य

...विपक्षी पक्ष/दल

==========

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री मयंक शेखर, अधिवक्ता

: श्री अमृत्य राज, अधिवक्ता

विपक्षी पार्टी/दलों के लिए : श्री अरुण कुमार सिंह, एपीपी

==========

अधिनियम/धाराएं/नियम:

- *भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ धारा 170, 171 और 420*
- *सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860*
- *पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धाराएं 13(3), 14, 32(1), 32(2) और 34*

• पुलिस मैनुअल परिशिष्ट 1 पुलिस अधिनियम की धारा 34

संदर्भित मामले:

• हरियाणा राज्य और अन्य बनाम भजन लाल और अन्य 1992 अनुपूरक (1) सुप्रीम कोर्ट मामले 335 में रिपोर्ट किए गए

याचिका– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 170, 171 और 420 सहपठित धारा 34 के तहत आरोप तय करने के आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई।

निर्णय:

• ऐसा कहीं नहीं प्रतीत होता कि राज्य ने याचिकाकर्ताओं की में नियुक्ति को विवादित किया हो।

• यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ताओं को खाकी वर्दी पहनने का अधिकार था, जो इस मुकदमे की वजह प्रतीत होता है।

• अतः यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि प्राथमिकी के अवलोकन से याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध कोई संज्ञेय अपराध प्रथम दृष्टया नहीं बनता है।

• यह मामला भजन लाल केस में उल्लिखित दिशानिर्देशों के अंतर्गत आता है। (पैरा 11)

याचिका स्वीकृत की जाती है।(पैरा 12)

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

न्यायालय: माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर झा

मौखिक निर्णय

दिनांक: 13-02-2025

याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

2. वर्तमान निरस्तीकरण याचिका चित्रगुप्त नगर खगड़िया पी.एस. केस संख्या 51/2022 में पारित दिनांक 08.06.2022 के आदेश को निरस्त करने के लिए प्रस्तुत की गई है,

जहां विद्वान सीजेएम, खगड़िया ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 170, 171 और 420 सहपठित धारा 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए संज्ञान लिया था।

3. अभियोजन का संक्षिप्त मामला पुलिस उपनिरीक्षक संजीव कुमार (प्रथम सूचनाकर्ता) के स्व-कथन से प्रकट होता है कि दिनांक 17.01.2022 को लगभग 15:30 बजे उन्हें सूचना मिली कि पुलिस की वर्दी पहने दो व्यक्ति स्वयं को उपनिरीक्षक बताकर कलेक्ट्रेट परिसर में घूम रहे हैं तथा संदिग्ध लग रहे हैं। सूचना मिलने पर सूचनाकर्ता अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचा तथा सीढ़ियों के पास याचिकाकर्ताओं को पाया, जिसमें याचिकाकर्ता संख्या 1 ने स्वयं को उपनिरीक्षक बताकर वर्दी पहनी हुई थी जिसमे बैज लगा हुआ था, जिस पर स्टील से "एसपीसीए" लिखा हुआ था तथा याचिकाकर्ता संख्या 2 सिविल ड्रेस में था। आगे आरोप है कि पुलिस कर्मियों को देखकर दोनों याचिकाकर्ताओं ने भागने का प्रयास किया, लेकिन सूचनाकर्ता तथा उनकी टीम ने पीछा करके उन्हें पकड़ लिया। आगे कहा गया है कि दोनों याचिकाकर्ताओं को पुलिस स्टेशन लाया गया, जहां सत्यापन और पूछताछ के बाद पाया गया कि याचिकाकर्ता "पशु क्रूरता निवारण सोसायटी" (एसपीसीए) नामक एक संस्था से संबंधित हैं और आम जनता को धोखा देने के इरादे से बिना किसी अधिकार के पुलिस अधिकारियों की तरह कपड़े पहने हुए थे।

5. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि एसपीसीए ("पशु क्रूरता निवारण सोसायटी") को 22.08.1929 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत शामिल किया गया था, जिसका पंजीकरण नंबर 178 है। यह बताया गया है कि यह सोसायटी इस देश की आजादी से बहुत पहले से चल रही है और पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए काम कर रही है और इसलिए सोसायटी के काम को पशु कल्याण बोर्ड (पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा मान्यता दी गई थी। सोसायटी लंदन में कार्यालय वाले वर्ल्ड इंटरनेशनल एसपीसीए से भी संबद्ध है। बताया जाता है कि सोसायटी ने याचिकाकर्ता संख्या 1 अर्थात राजेश महतो उर्फ राजेश कुमार को अपने पत्र दिनांक 01.07.2019 के पत्र संख्या 47/2019 के माध्यम से और याचिकाकर्ता संख्या 2 अर्थात कुमार आलोक को अपने पत्र दिनांक 20.01.2021 के पत्र संख्या

5/2021 के माध्यम से एसपीसीए में सब-इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त किया है। बताया जाता है कि बिहार सरकार ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1890 की धारा 14 के संदर्भ में अधिसूचना जारी की थी, जिसमें एसपीसीए द्वारा नामित व्यक्तियों को निरीक्षक की वैधानिक शक्ति दी गई थी। उक्त अधिसूचना को अनुलग्नक संख्या 4 के रूप में संदर्भित किया गया है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1890 को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 द्वारा निरस्त कर दिया गया था। प्रस्तुत किया गया है कि पुलिस महानिरीक्षक, बिहार ने अपने पत्र दिनांक 29 नवंबर, 1961 के माध्यम से एसपीसीए के निरीक्षकों के लिए वर्दी को मंजूरी दी थी। यह बताया गया है कि बिहार राज्य ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 13(3), 32(1), 32(2) और 34 के अनुसार एस.ओ. संख्या 4273 दिनांक 7 जून 1990 और एस.ओ. संख्या 4275 दिनांक 7 जून 1990 को फिर से एक अधिसूचना जारी की, जिसके तहत एसपीसीए द्वारा नियुक्त व्यक्तियों को उपरोक्त प्रावधानों के संदर्भ में फिर से निरीक्षक की शक्ति प्रदान की गई।

6. विद्वान वकील द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि पुलिस आदेश संख्या 69 और 78 को पुलिस अधिनियम की धारा 34 के पुलिस मैनुअल परिशिष्ट 1 के अनुसार प्रकाशित किया गया था। उपरोक्त पुलिस आदेशों के मद्देनजर, गृह मंत्रालय, बिहार सरकार ने पत्र संख्या 7366 दिनांक 14.08.2014 को पुलिस महानिदेशक, बिहार के कार्यालय को एक पत्र जारी किया, जिसमें उन्हें पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए एसपीसीए की सहायता के लिए पत्र प्रसारित करने का निर्देश दिया गया। यह बताया गया है कि उपरोक्त के अनुसार, एसपीसीए के सदस्य निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए खुद को इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर के रूप में संदर्भित करने के लिए विधिवत अधिकृत हैं और वे एसपीसीए बैज के साथ वर्दी पहनने के हकदार हैं। यह बताया गया है कि एफआईआर को देखने से भी ऐसा नहीं लगता है कि याचिकाकर्ता का किसी व्यक्ति को धोखा देने का इरादा था और जनता को धोखा देने का आरोप अनुमान पर आधारित प्रतीत होता है।

7. दलीलों का समापन करते हुए, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि एफआईआर के मात्र अवलोकन और उपरोक्त संदर्भित दस्तावेजों के मद्देनजर याचिकाकर्ताओं के

खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है और इसलिए, संज्ञान लेने वाला आरोपित आदेश रद्द और अपास्त करने योग्य है। अपने प्रस्तुतीकरण के समर्थन में विद्वान वकील ने **हरियाणा राज्य और अन्य बनाम भजन लाल एवं अन्य 1992 के अनुपूरक (1) सुप्रीम कोर्ट केस 335** में रेपोर्टेड के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया।

8. बिहार राज्य द्वारा दिनांक 22.12.2023 को दायर जवाबी हलफनामें में याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ऊपर संदर्भित किसी भी अनुलग्नक एवं पत्र का खंडन नहीं करता प्रतीत होता है, जिससे स्पष्ट है कि राज्य याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतिकरण पर विवाद करने की स्थिति में नहीं है।

9. अनुलग्नक संख्या 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9 को नीचे पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा:-

अनुलग्नक-4

दिनांक 11 जुलाई, 1944

संख्या 2898. जे-पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1890 (1890 का ग्यारहवां) की धारा 7-ए की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा अधिसूचना संख्या 1132.जे., दिनांक 5 अप्रैल, 19 को अधिक्रमण करते हुए, बिहार के राज्यपाल, बिहार प्रांतीय पशु क्रूरता निवारण सोसायटी द्वारा निरीक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्तियों को उक्त उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करते हैं। बिहार प्रांत में अपने-अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी जानवर पर किए गए फूका या डूम देव के संबंध में।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

डब्ल्यू डब्ल्यू डाल्जिएल, सचिव

श्री एस.पी. सिंह, ए-11/1949 एस्क्वायर, बी.एल., अवर सचिव, बिहार सरकार, न्यायिक विभाग द्वारा दिनांक 9 फरवरी, 1950 को लिखे गए पत्र संख्या 1607/जे की सत्य प्रतिलिपि, जो सभी संभाग आयुक्तों (पटना को छोड़कर) को पशुओं के प्रति क्रूरता से संबंधित मामलों की सुनवाई की प्रक्रिया के संबंध में संबोधित है। मुझे हाशिये पर उल्लिखित पत्राचार की प्रतियां अग्रेषित करने तथा यह कहने का निर्देश हुआ है कि सरकार पटना संभाग के आयुक्त द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से सहमत है। आपके संभाग के मजिस्ट्रेट को आवश्यक निर्देश दिए जाएं।

भवदीय,

एस.पी. सिंह

अवर सचिव, सरकार

अनुलग्नक-5

ज्ञापन संख्या 10946 XLIII-38-78-61

पुलिस महानिरीक्षक, बिहार का कार्यालय

पटना, 29 नवम्बर, 1961.

आश्विन, 1883(सी)

सेवा में,

सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

विषय: जी.पी.सी.ए. निरीक्षकों की वर्दी।

पुलिस महानिरीक्षक, बिहार ने एस.पी.सी.ए. निरीक्षकों की वर्दी और प्रतीक चिन्ह में मानद सचिव, राज्य, एस.पी.सी.ए., बिहार द्वारा जारी किए गए सुझावित परिवर्तन को मंजूरी दे दी है।

एस.पी.सी.ए. निरीक्षकों की वर्दी और प्रतीक चिन्ह में परिवर्तन निम्नानुसार हैं-

1. वरिष्ठ निरीक्षक - खाकी वर्दी जिसमें टोपी के साथ जिला और नीले रंग के क्रॉस के साथ तीन सितारे शामिल हैं।

(2) कनिष्ठ निरीक्षक - उपरोक्त वर्दी जिसमें नीले रंग के क्रॉस के साथ दो सितारे शामिल हैं। कृपया इस पत्र की प्राप्ति की सूचना दें।

हस्तांक्षरित

21/11

ए.आई.जी. पुलिस, बिहार, पटना।

प्रतिलिपि मानद सचिव, राज्य एस.पी., बिहार को उनके ज्ञापन संख्या 4676 दिनांक 6.10.61 के अनुसार सूचनार्थ प्रेषित।

3. सभी चालू डी.आई.एस.जी. सूचनार्थ।

अनुलग्नक-6

बिहार सरकार

पशुपालन एवं मत्स्य विभाग

(पशुपालन)

अधिसूचना

एस ओ संख्या 8273 पटना-15, दिनांक 7.6.90

...../ पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1860 (अधिनियम 59,1960) को पारा- 13 को उप धारा (3) पारा 32 को उप पारा (1)एवं (2) तथा धारा ३४ को शक्तियों बिहार राज्यपाल द्वारा राज्य पशु कलेश निवारण समिति, बिहार के द्वारा नियुक्त निरीक्षकों में निहित की जाती है और वे बिहार राज्य के अपने अपना क्षेत्राधिकार को सीमा में निरीक्षक का कार्य करेगें ।

२- मंत्री, स्टेट स.म.सो.ए. निरीक्षकों पर केवल तकनीकी नियंत्रण रखेंगे। निरीक्षक पूर्व की भाँति आरक्षी अधीक्षक एवं उप आरक्षी अधीक्षक को सौंपी देख रेख में निरीक्षण और अभियोजन का कार्य करेंगे।

३- प्रशासनिक नियंत्रण अनुमंडल पदाधिकारी/ जिला पदाधिकारी के जिम्मे रहेगा। जिला पदाधिकारी स्वयं या किसी अपर समाहर्ता के द्वारा और अनिमंडल पदाधिकारी स्वयं या किसी उप समाहर्ता के द्वारा इनपर कड़ी से कड़ी निगरानी रखेगे।

४- निरीक्षकों के ख़िलाफ़ जो भी लिखित/ अलिखित शिकायते प्राप्त होंगी उनको जाँच करायी जाएगी।

५- निरीक्षकों द्वारा सड़को पर चेक पोस्ट को व्यवस्था लागू नहीं की जाएगा। किसी विशेष परिस्थिति में जिला पदाधिकारी को पूर्वयुक्ति पूर्वानुमति से ही चेक पोस्ट लगाएं जायेगे।

६- इनके कार्यो की समीक्षा प्रति माह जिला एवं अनुमंडल स्तर पर की जाएगी।

७- पशुपालन विभाग को अधिसूचना संख्या 8286 इनंक १८/९/८७ को वापस लेते हुए रद्द किया जाता है ।

८- पशुपालन निदेशालय में पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के द्वारा बिहार राज्य में लागू प्रावधानों के क्रियान्वयन एवं प्रशासन को देखने के लिए एक कोषांग खोला जाएगा ।

९- यह आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी समझा जाएगा।

संचिका संख्या 5 एवं (3)6021/90

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(अवधेश कुमार सिंह)

बिहार सरकार के अपर सचिव

अनुलग्नक-6/2

बिहार सरकार

पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग

(पशुपालन)

अधिसूचना

एस.ओ. संख्या 4275 पटना-15, 7 जून, 1990

बिहार के राज्यपाल पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (अधिनियम 59, 1960) की धारा-13 की उपधारा (3) तथा धारा "32 की उपधारा (1) और (2) तथा धारा 34 के अधीन शक्तियां राज्य पशु क्रूरता निवारण सोसायटी, बिहार द्वारा नियुक्त निरीक्षकों को प्रदान करते हैं तथा वे बिहार राज्य में अपने-अपने क्षेत्राधिकार की सीमाओं के भीतर निरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

2. सचिव, राज्य एस.पी.सी.ए. बिहार एस.पी.सी.ए. के निरीक्षकों पर केवल तकनीकी नियंत्रण रखेंगे। ये निरीक्षक पहले की तरह पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में निरीक्षण और अभियोजन कार्य करेंगे।

3. प्रशासनिक नियंत्रण जिला दंडाधिकारी/अनुमंडल दंडाधिकारी के पास रहेगा। जिला मजिस्ट्रेट स्वयं अथवा किसी अपर जिला मजिस्ट्रेट अथवा अनुमंडल मजिस्ट्रेट के माध्यम से अथवा किसी उप समाहर्ता के माध्यम से उन पर कठोर नियंत्रण रखेंगे।

4. निरीक्षक के विरुद्ध प्राप्त किसी लिखित/अलिखित शिकायत की जांच की जाएगी।

5. निरीक्षकों द्वारा सड़कों पर कोई चेकपोस्ट स्थापित नहीं किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति से ही चेकपोस्ट स्थापित किया जाएगा।

6. निरीक्षकों के कार्यों की मासिक समीक्षा जिला एवं अनुमंडल स्तर पर की जाएगी।

7. पशुपालन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 8286 दिनांक 18.9.87 को वापस लिया जाता है तथा रद्द किया जाता है।

8. बिहार राज्य में लागू पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के प्रावधानों के कार्यान्वयन एवं प्रशासन की जांच के लिए पशुपालन निदेशालय में एक प्रकोष्ठ खोला जाएगा।

9. यह आदेश जारी होने की तिथि से लागू होगा।

फाइल संख्या 5 एम(3)-6021/90

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

(ए.के. सिंह)

सरकार के अपर सचिव

अनुलग्नक-7

पुलिस आदेश संख्या 69

पशु क्रूरता निवारण सोसायटी के पुलिस अधिकारियों और निरीक्षकों के बीच सहयोग

सभी अधिकारियों का ध्यान पशु क्रूरता निवारण सोसायटी के निरीक्षकों के साथ पूर्ण सहयोग की आवश्यकता की ओर आकर्षित किया जाता है।

पुलिस अधिकारियों को स्वयं पहल करके पशुओं के साथ बुरा व्यवहार करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ हर संभव कार्रवाई करनी चाहिए, साथ ही सोसायटी के निरीक्षकों को हर संभव सहायता प्रदान करनी चाहिए। यह सुझाव दिया जाता है कि अभियोजन को सुविधाजनक बनाने के लिए अधीक्षकों को अपने जिला मजिस्ट्रेट से मिलना चाहिए और अनुरोध करना चाहिए

कि एक विशेष मजिस्ट्रेट को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई के लिए प्रति सप्ताह विशेष दिनों में निश्चित समय पर प्रतिनियुक्त किया जाना चाहिए।

हालांकि यह इरादा नहीं है कि अदालत के अधिकारियों को इन मामलों के अभियोजन का कार्य करना चाहिए, फिर भी उन्हें वह सभी सहायता देनी चाहिए जो उन्हें मिलनी चाहिए। यह स्पष्ट है कि यदि सोसायटी के निरीक्षकों को अधिकांश समय मामलों के अभियोजन में बिताना है, तो वे अपराध का पता लगाने में पर्याप्त समय नहीं दे सकते हैं। निरीक्षक अपरिहार्य कारणों से अभियोजन का संचालन करने में असमर्थ हैं या जब बचाव कठिन होता है और निरीक्षकों को कानूनी सलाह या अन्य सहायता की आवश्यकता होती है।

इन अभियोजनों को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए, एस.पी.सी.ए. निरीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी रिपोर्ट की कार्बन प्रतियां ए.पी.पी. को भेजें।

निर्देश दें कि वे उन्हें तुरंत गैर-प्रथम सूचना रिपोर्ट रजिस्टर में दर्ज करें और पुलिस स्टेशनों से मूल रिपोर्टों की प्राप्ति में तेजी लाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। गैर-प्रथम सूचना रिपोर्ट रजिस्टर में कार्बन प्रतियों की प्रविष्टि सुनिश्चित करनी चाहिए कि कोई भी रिपोर्ट अनदेखी न हो और देरी की तुरंत जांच की जा सके।

मैनुअल संदर्भ- पुलिस अधिनियम की धारा 34 के पी.एम. परिशिष्ट । में देखें।

पुलिस आदेश संख्या 78

पुलिस अधिकारियों और पशु क्रूरता की प्रस्तुति के लिए जांच के बीच सहयोग

सभी अधिकारियों का ध्यान पशु निवारण सोसायटी के निरीक्षण के साथ सूचना भरने के लिए आकर्षित किया जाता है।

पुलिस अधिकारियों को अपनी पहल पर पशु के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए सभी संभव कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वे किसी भी जानवर के हों।

सुझाव दिया गया कि रोकथाम की सुविधा के लिए, जिला मजिस्ट्रेट को अधीक्षक नियुक्त किया जाना चाहिए और किसी विशेष को अपने स्वयं के प्रयासों की कोशिश करने के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत प्रत्येक सप्ताह एक विशेष दिन या दिनों पर निश्चित समय पर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत अपराध की जांच की जाती है।

हालांकि यह इरादा नहीं है कि न्यायालय के अधिकारियों को इन सामान्य अपराधों की रोकथाम करनी चाहिए, फिर भी उन्हें सभी सहायता प्रदान करनी चाहिए जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। यह स्पष्ट है कि यदि सोसायटी के जांच अधिकारी अभियोजन पक्ष के किसी भी अपराध का पता लगाने में पर्याप्त समय नहीं लगा पाते हैं।

ए.डी.पी. को यह दिखाते हुए कि अभियोजन पक्ष को स्वयं सहायता करने का निर्देश दिया गया है, या जब पदोन्नति कठिन हो और निरीक्षकों ने कानूनी सलाह या अन्य सहायता का उपयोग किया हो। इन अभियोजकों की सुविधा के लिए एस.पी.सी.एम. प्रशिक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी रिपोर्ट की कार्बन प्रतियां भेजें ताकि ए.डी.पी. उन्हें तुरंत गैर-प्रथम सूचना रिपोर्ट रजिस्टर में दर्ज कर सकें और पुलिस स्टेशनों से मूल रिपोर्ट प्राप्त करने में तेजी लाने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सकें। गैर-प्रथम सूचना रिपोर्ट रजिस्टर में कार्बन लोगों की प्रविष्टि सुनिश्चित की जानी चाहिए कि कोई भी रिपोर्ट नज़रअंदाज़ न हो और देरी की तुरंत जाँच की जाए।

मैनुअल संदर्भ-पुलिस अधिनियम की धारा 84 (परिशिष्ट I) देखें।

<u>अनुलग्नक-8</u>

पत्र संख्या- स्टे/विविध- 17/2017...../

बिहार सरकार

गृह विशेष विभाग

प्रेषक,

राजीव रंजन सिंहा

सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक

बिहार, पटना

पटना, दिनांक- अगस्त 2014

विषय: बिहार के विभिन्न जिलों में पदस्थापित स्टेट एस पी सी ए बिहार, के निरीक्षकों को पढ़ो क्रूरता से संबंधित अपराधों को रोकने हेती आवश्यक सहयोग तथा सुरक्षा प्रदान करने से संबंधित निर्देश/आदेश निर्गत करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक श्री रत्नेश्वर प्रसाद सिंह, सचिव, स्टेट एस पी सी ए बिहार पटना के पत्रांक 39/14 दिनांक 23.07.2014 की छाया प्रति अनुलग्नक सहित संलग्न करते हुए कहना है की पुलिस आदेश संख्या 69 के आलोक में राज्य के सभी जिला पदाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक को स्टेट एस पी सी ए निरीक्षक कोपशु क्रूरता के विरुद्ध कार्रवाई करने में सहयोग प्रदान करने से संबंधित निर्देश दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि पुलिस आदेश संख्या 69 का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए तथा अपने अधीनस्थ सभी पुलिस पदाधिकारियों को निदेशित करने की कृपा की जाए की स्टेट एस पी सी ए निरीक्षकों को पशु क्रूरता से संबंधित अपराधों को रोकने हेतु अन यथोक्त

विश्वासभाजन

सरकार के विशेष सचिव

अनुलग्नक-9

पटना उच्च न्यायालय

अधिसूचना

दिनांक 11 सितम्बर, 1997

20, भद्र, 1919.

सं. 416 ए: दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम-2, 1974) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत उच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई तालिका के स्तंभ संख्या 2 में नामित कार्यपालक अधिकारियों को, अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए, तालिका के स्तंभ संख्या 3 में उनके नाम के सामने उल्लिखित क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई करने के लिए द्वितीय श्रेणी के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिसके लिए वे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई करने के लिए सक्षम हैं।

उन्हें निम्नलिखित शक्तियां भी प्रदान की गई हैं। द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को उक्त अधिनियम के तहत मामलों की संक्षिप्त सुनवाई करने का अधिकार प्रदान किया गया है, जो कि सामान्य प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 261 के अंतर्गत आते हैं।

उन्हें ऐसे मामलों का संज्ञान लेने की शक्तियां भी प्रदान की गई हैं, जिन्हें वे अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में सुनवाई के लिए अधिकृत हैं।

क्रमांक	अधिकार क्षेत्र वाले अधिकारियों के नाम, उनके पदनाम	शक्तियां उन्हें प्रदान की जा रही हैं

	और तैनाती के स्थान	
1	2	3
1	श्री राघवेंद्र झा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, खगड़िया के क्षेत्र के लिए	संपूर्ण खगड़िया जिला

उच्च न्यायालय के आदेश से,

मनोहर लाल विसा,

रजिस्ट्रार सेंट्रल

10. **भजन लाल केस (सुप्रा)** के पैराग्राफ संख्या 102 को पुनः प्रस्तुत करना भी उचित होगा, जो इस प्रकार है:

"**102.** अध्याय XIV के अंतर्गत संहिता के विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत असाधारण शक्ति या संहिता की धारा 482 के अंतर्गत निहित शक्तियों के प्रयोग से संबंधित निर्णयों की श्रृंखला में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में, जिन्हें हमने ऊपर उद्धृत और पुनरुत्पादित किया है, हम उदाहरण के तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों के मामले देते हैं, जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किसी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है, हालांकि कोई सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से चैनलाइज्ड और अनम्य दिशा-निर्देश या कठोर सूत्र निर्धारित करना संभव नहीं हो

सकता है और ऐसे असंख्य प्रकार के मामलों की विस्तृत सूची देना संभव नहीं है, जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

"(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया जाए और उनकी संपूर्णता में स्वीकार किया जाए, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता है या आरोपी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है

(2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट और एफआईआर के साथ दी गई अन्य सामग्री में लगाए गए आरोप किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, वहां पुलिस अधिकारियों द्वारा संहिता की धारा 156(1) के तहत जांच को उचित ठहराया जा सकता है, सिवाय इसके कि संहिता की धारा 155(2) के दायरे में मजिस्ट्रेट के आदेश के तहत जांच की जाए।

(3) जहां एफआईआर या शिकायत में लगाए गए निर्विवाद आरोप और उनके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी अपराध के किए जाने का खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनाते हैं।

(4) जहां एफआईआर में लगाए गए आरोप संज्ञेय अपराध नहीं बनाते हैं, बल्कि केवल असंज्ञेय अपराध बनाते हैं, वहां पुलिस अधिकारी द्वारा संहिता की धारा 155(2) के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना जांच की अनुमति नहीं है।

(5) जहां एफआईआर या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं कि उनके आधार पर कोई भी विवेकशील व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है) के किसी भी प्रावधान में कार्यवाही शुरू करने और जारी रखने पर स्पष्ट कानूनी रोक लगाई गई है और/या जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में कोई विशिष्ट प्रावधान है, जो पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करता है।

(7) जहां आपराधिक कार्यवाही स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण तरीके से की गई हो और/या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से अभियुक्त पर बदला लेने और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे परेशान करने के उद्देश्य से शुरू की गई हो।"

11. उपर्युक्त तथ्यात्मक और कानूनी चर्चाओं के मद्देनजर और राज्य के जवाबी हलफनामे पर गौर करने पर, ऐसा कहीं नहीं लगता कि राज्य ने एसपीसीए में याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति को विवादित किया है। ऊपर संदर्भित और पुनः प्रस्तुत विभिन्न अनुलग्नकों, विशेष रूप से अनुलग्नक-5 से ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता "खाकी वर्दी" के हकदार थे, जो वर्तमान अभियोजन का कारण प्रतीत होता है। इसलिए, यह सुरक्षित रूप से समझा जा सकता है कि प्रथम दृष्टया एफआईआर के अवलोकन से याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है और इस तरह वर्तमान मामला **भजन लाल केस (सुप्रा)** के पैरा संख्या 1 और 3 में उल्लिखित दिशानिर्देशों के अंतर्गत आता है, इसलिए दिनांक 08.06.2022 के संज्ञान के आदेश को इसके सभी परिणामी कार्यवाही के साथ, उपरोक्त दोनों नामित याचिकाकर्ताओं के संबंध में जो चित्रगुप्त नगर खगड़िया पीएसवाद संख्या 51/2022 विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खगड़िया के समक्ष लंबित है को निरस्त और अपास्त किया जाता है।

12. अतः यह आवेदन स्वीकार किया जाता है।

13. यदि कोई टीसीआर (ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड) है तो उसे इस निर्णय की प्रति के साथ विद्वान ट्रायल कोर्ट को लौटा दिया जाए।

(चंद्र शेखर झा, न्यायमूर्ति)

एस. त्रिपाठी/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।